

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 58/2016 वाद

शांतिलाल वगै. बनाम श्री नवलसिंह वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
३ २५	<p>पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी उपस्थित है । अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई । अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि अवाप्त सुदा भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि का प्राप्त विभाजन फहरिस्त के साथ नक्शाट्रेस अनुसार विभाजन कर दिया जावे । अधिवक्ता वादीगण को कोई आपत्ति नहीं होने से तहसीलदार गढबोर से प्राप्त विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस स्वीकार किये जाकर ग्राम जनावद पटवार मण्डल जनावद तहसील गढबोर की जमाबन्दी सम्बन्ध 2076-79 के खाता संख्या 135 आराजी नंबर 1043 रकबा 1.2639 हैक्टेयर भूमि (मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.3437 हैक्टेयर को शामिल रखते हुए) को स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है । स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । पालना हेतु डिक्री की प्रमाणित प्रति व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस तहसीलदार गढबोर को भेजा जावे । वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p>	



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द